प्रेस नोट **दिनांक 30.05.2026**

मऊ पुलिस की सख्त कार्रवाई, शातिर अपराधी रिक्की खान जिलाबदर –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के पर्वेक्षण में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशन में अपराधियों पर अंकुश लगाने व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दिनांक 29.05.2026 अभियुक्त रिक्की खान पुत्र डा0 उस्मान निवासी हट्ठी मदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष को जिलाबदर (जनपद की सीमा से निष्कासित) किया गया है। आदेश के अनुलान में आदेश / नोटिस तामीला कराते हुए लिखित लिया गया कि जनपद सीमा मऊ से बाहर चार माह तक रहने का आदेश पालन करेगा सीमा के अन्दर दिखने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी । आदेश के अनुपालन में अभियुक्त रिक्की खान उपरोक्त को आरक्षी के माध्यम से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन मे साथ ले जाकर मऊ सीमा के बाहर छोड़वाया गया।

अभियुक्त का विवरण

1. रिक्की खान पुत्र उस्मान निवासी हट्ठी मदारी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 208/24 धारा 307, 34, 452 भादवि0 व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 211/24 धारा 307, 504, 506 भादवि0 व 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 389/24 धारा 2, 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना कोतवाली जनपद मऊ

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में आज दिनांक 30.05.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया-

इस अभियान के अंतर्गत 42 टीम गठित कर जनपद के 46 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1300 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 174 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान एवं 01 वाहनों को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

गुमशुदा 01 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 27999 रुपये) बरामद कर उनके स्वामी को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में थाना रानीपुर जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा CEIR पोर्टल पर दर्ज 01 शिकायत का निस्तारण कर तत्काल तकनीकि सहायता आवेदिका 01. श्रेया सिंह पुत्री पंकज सिंह निवासिनी ग्राम चकिया थाना रानीपुर मऊ के 01 मोबाइल फोन को ट्रेस कर बरामद किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित को मोबाइल फोन वापस किया गया। मोबाइल प्राप्त कर लाभार्थियों द्वारा मऊ पुलिस की सराहना की गई।

मोबाइल का विवरण: –

1. मोबाइल IQOO I2202 5G अनुमानित कीमत 27999/-

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

प्रेस नोट जनपद मऊ

दिनांक : 29/05/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वांछित/वारंटी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई। जिसमें

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 107/2026 धारा 331(4)/305(a) बी.एन.एस. से संबंधित अभियुक्त जोगिन्द्र चौहान उर्फ जोगी पुत्र विशुनी चौहान निवासी खराड़गाड़ी थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 61 वर्ष । को खालिसपुर के पास से गिरफ्तार किया गया जो दिनांक 28.05.2026 को दिन में ग्राम गड़वा स्थित दुर्गा मन्दिर में मैं सोया था । और शाम के सुनसान वक्त देखकर मन्दिर से आभूषण चोरी कर लिया था। उसके कब्जे चोरी किये हुए पीले धातु के तीन अदद टुकडे बरामद कर चालान मा0 न्यायालय किया गया । तथा उक्त प्रकरण में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

जनपद पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अभियान लगातार जारी है।